प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 32/2025)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर) की बैठक

नई दिल्ली 25 अप्रैल 2025 – भादूविप्रा ने 25 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में संयुक्त विनियामक समिति (जेसीओआर) की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में क्रॉस-सेक्टोरल विनियामक सहयोग की आवश्यकता वाले मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया और अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी)/स्पैम और धोखाधड़ी वाले संचार से निपटने सहित सहयोगात्मक उपायों पर चर्चा की गई । बैठक में आरबीआई, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, सेबी, एमओसीए, और मेइटी के प्रतिनिधियों सहित जेसीओआर के सदस्यों ने भाग लिया। इसके अलावा दूरसंचार विभाग और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में बैठक में शामिल हुए।

विनियामकों की संयुक्त समिति (जेसीओआर), भादूविप्रा की एक पहल है जो कि दूरसंचार, आईटी, उपभोक्ता मामलों और वित्तीय और बीमा क्षेत्रों के क्षेत्रीय नियामकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित की गई थी ताकि डिजिटल दुनिया में क्रॉस सेक्टोरल नियामक मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और समुचित विनियामक उपायों को अपनाने पर सहयोगात्मक रूप से काम किया जा सके। समिति के सदस्यों ने अपने विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करने और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए तब से इस मंच का लाभ उठाया है। जेसीओआर ने डिजिटल युग में यूसीसी और नियामक चुनौतियों के मुद्दे को हल करने और सामूहिक प्रयास के माध्यम से यूसीसी को नियंत्रित करने हेतु विनियामक ढांचे को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही उपयोगी सहयोगी मंच प्रदान किया है।

भादूविप्रा के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार लाहोटी ने अपने उद्घाटन भाषण में स्पैम एवं धोखाधड़ी वाले संदेशों और कॉलों से निपटने के लिए, जिससे नागरिकों विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को असुविधा होती है, एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस संबंध में जेसीओआर द्वारा की गई प्रगति में भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर भी चर्चा की गई।

बैठक में जिन मदों पर चर्चा की गई उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मदें निम्न प्रकार से हैं

1. सरकार और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं द्वारा लेनदेन और सेवा वॉयस कॉल करने के लिए विशेष रूप से आवंटित 1600 श्रृंखला नंबरों के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा की गई। समिति के सदस्यों ने समयबद्ध तरीके से इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने और नियमित निगरानी के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संस्थाओं के साथ इस मुद्दे को उठाने पर सहमति व्यक्त की। सीओएआई ने विभिन्न समाधानों के बारे में समिति के समक्ष एक प्रस्तुति भी दी, जो देश के सभी टीएसपी और एलएसए में प्राप्तकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिए एक इकाई 1600 श्रृंखला संख्या सीएलआई की पेशकश कर सकती है।
2. बैठक में डिजिटल सहमति अधिग्रहण (डीसीए) प्लेटफॉर्म पर वाणिज्यिक संचार के प्रेषकों को जोड़ने के तौर-तरीकों पर विचार-विमर्श किया गया। जेसीओआर के सदस्य डीसीए पर ऑनबोर्ड करने का मुद्दा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर प्रेषकों/प्रमुख संस्थाओं (पीई) के साथ उठाने के लिए सहमत हुए।
3. विचार-विमर्श के दौरान, I4C ने धोखाधड़ी वाले संचार और डिजिटल अरेस्ट स्केम की समस्या का मुकाबला करने के लिए विभिन्न उपायों पर चर्चा की। इस संबंध में, स्पैमर्स द्वारा उनके दुरुपयोग से बचने के लिए अप्रयुक्त संदेश हेडर और सामग्री टेम्पलेट्स को हटाने, धोखाधड़ी वाले एसएमएस हेडर पर त्वरित कार्रवाई, धोखाधड़ी वाले संदेश भेजने में उपयोग किए जाने वाले मोबाइल नंबर/आईएमईआई को अवरुद्ध करने आदि जैसे उपायों पर चर्चा की गई। सदस्यगण इसके कार्यान्वयन के लिए तौर-तरीकों पर आगे काम करने पर सहमत हुए।
4. ओटीटी और आरसीएस संचार प्लेटफार्मों के माध्यम से स्पैम और स्कैम के मुद्दे पर चर्चा की गई। मेइटी यह मुद्दे हितधारकों के साथ विचार-विमर्श करेगा। ताकि परंपरागत दूरसंचार के अनुरूप उपाय किए जा सकें।

जेसीओआर सदस्यों ने इन मुद्दों को सामूहिक रूप से हल करने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, ताकि अधिक सुरक्षित और कुशल दूरसंचार वाणिज्यिक संचार पारिस्थितिकी तंत्र (ईकोसिस्टम) सुनिश्चित करते समय उपभोक्ताओं को स्पैम और धोखाधड़ी के नुकसान से बचाया जा सके।

अतुल चौधरी 25/4/25

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा